भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3977

दिनांक 24 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

सुधार गृह

3977. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कितने बाल सुधार गृह स्थापित किए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत और आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुधार गृहों हेतु बेहतर अवसंरचना और प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई)/किशोर गृहों की संख्या और इन किशोर गृहों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई निधि निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपये)

वर्ष	बाल देखभाल संस्थानों/किशोर गृहों की संख्या	जारी की गई निधि
2017-18	91	1469.88
2018-19	93	1870.01
2019-20	89	1373.53
2020-21	92	1827.84
2021-22	92	476.46

(ग): किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बालकों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। अधिनियम में देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करते हुए संरक्षण का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के तहत स्थापित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ ही आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल आदि तक पहुंच से सहयोग करते हैं। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का है।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 54 के तहत, राज्य सरकारों को निरीक्षण समितियों की नियुक्ति करनी है और धारा 53 के तहत, अपने मानकों को बनाए रखने के लिए संस्थान की बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का आकलन करना है। साथ ही जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 32 से 34 में अनिवार्य रिपोर्टिंग की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें गैर-रिपोर्टिंग और दंड के अपराध शामिल हैं।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोर गृहों सहित बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार देखभाल के मानकों का पालन करते हैं। सभी सीसीआई के बेहतर प्रबंधन के अनिवार्य निरीक्षण के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न परामर्श भेजे गए हैं।

मंत्रालय ने सीसीआई के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को भी निधि उपलब्ध कराई है। योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में निर्माण के लिए अनुमोदित सीसीआई की संख्या और सीसीआई के निर्माण के लिए 87.45 लाख रुपये प्रति सीसीआई की दर से जारी की गई निधि का विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये)

वर्ष	**निर्माण हेतु अनुमोदित बाल देखभाल संस्थानों/किशोर गृहों की संख्या**	**निर्माण के लिए जारी की गई धनराशि**
2017-18	0	0
2018-19	4	185.01
2019-20	0	0
2020-21	3	157.41
2021-22	0	0

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत 50 बच्चों की क्षमता वाले सीसीआई के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता को संशोधित कर 1,34,93,500/- रुपये कर दिया गया है।

*****